



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

142 सी. सेक्टर 11, हिरणमगरी उदयपुर, 313002

फोन : 0294-2583139, 2583215, ईमेल ro.udaipur@ibm.gov.in

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines

142-C.Sector-11, Hiran Magri, Udaipur(Raj) 313002

Phone : 0294-2583139, 2583215, email ro.udaipur@ibm.gov.in

38RAJ09003

खान मिसिल सं.

RAJ/CHTT/LST-6 Vol III

सेवा में

M/s JK Cement Works  
Kailash Nagar  
Nimbahera  
Chittaurgarh (Raj)  
PIN: 313617

पंजीकृत पावती

उल्लंघन पत्र

दिनांक : 26 MAY 2016

विषय:

राजस्थान राज्य के जिला चित्तोडगढ़ निकट ग्राम मलियाबेड़ा स्थित, आपकी मलियाबेड़ा चूनापत्थर खान में (एमएल एरिया 315.4090 है.), खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन.

महोदय

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.05.2016 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण करने के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों के उल्लंघन पाये गये:

नियम सं	पाये गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
13(1)	The progressive mining closure plan was implemented as per reclamation plan plate no. 8 for the year 2015-16, as approved in the Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MP-459)/2008- UDP, dated 20.05.2015) for the year 2015-16
29	Copies of Plan and sections required to be maintained under rule 28 have not been submitted.
45(1)	The lessee has not been registered himself with the IBM for mining etc. as required under this rule.

इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की इन नियमों/प्रावधानों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त नियम 13(1) की अनुपालना न होने पर नियम 13(2) के तहत खनन कार्य स्थगित करने की अनुशंसा क्षेत्रीय खान नियंत्रक से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय,  
८

(पुष्पेन्द्र गौड़)

उप खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2 निदेशक खान एवं भू विज्ञान निदेशालय, उदयपुर (राजस्थान)
- 3 रक्षित पत्रावली।
- 4 का. प्र.

उप खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो